भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2617

(दिनांक 11.12.2024 को उत्तर के लिए)

नियुक्तियों की अस्वीकृति

2617. श्री आर.के. चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अनेक उम्मीदवारों को विभिन्न मुद्दों के कारण अस्वीकार कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (ख) : मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी अभ्यर्थी की श्रेणियों, पात्रता संबंधी मानदंड अथवा उनके पूर्ववृत्त से संबंधित उनके दावों के सत्यापन में कोई विसंगति पाई जाती है, तो संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा अनुशंसित किसी अभ्यर्थी को संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है।

*****